भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 ईसीआई/प्रे नो/21/2015 दिनांक : 02 मार्च, 2015

<u>प्रेस नोट</u>

विषय: राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एनईआरपीएपी), 2015 का शुभारंभ-तत्संबंधी।

पूर्णरूपेण त्रुटिरहित तथा प्रमाणीकृत निर्वाचक नामावली तैयार करने के मुख्य उद्देश्य से आयोग ने 03 मार्च, 2015 से "राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली परिशोधन एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम" (एनईआरपीएपी) नामक व्यापक कार्यक्रम को आरंभ करने का निर्णय लिया है।

2. इस कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित क्रिया-कलाप किए जाएंगे।

- ❖ यूआईडीएआई के आधार डाटा के साथ निर्वाचकों के एपिक डाटा का लिंक करना और प्रमाणीकरण करना।
- ❖ निर्वाचक नामावली में बहु-प्रविष्टियों का स्वैच्छिक प्रकटन करना।
- ❖ एपिक या निर्वाचक नामावली में त्रुटियों का सुधार करना।
- ❖ निर्वाचक की फोटो गुणवत्ता में सुधार करना।

3. इस कार्यक्रम के दौरान निर्वाचकों को उनकी आधार संख्या और एपिक संख्या को निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से फीड करने की सुविधा दी गई है:-

- ❖ भारत निर्वाचन आयोग वेबसाइट अर्थात http://eci.gov.in. के माध्यम से वेब सेवाओं का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) द्वारा
- ❖ एसएमएस
- ❖ ई-मेल
- ❖ मोबाइल एप्लीकेशन
- ❖ राज्य कॉल सेंटरों में '1950' पर कॉल करके

- ❖ दोनों ही दस्तावेजों, नामत:, एपिक और आधार पत्र/कार्ड की फोटो-प्रति के साथ विधिवत रूप से भरे हुए फार्म की हार्ड कॉपी में आधार संख्या और एपिक संख्या के विवरणों को प्रस्तुत करके।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा भी निम्नलिखित तरीके से आधार का कलेक्शन और फीडिंग की जाएगी।

- ❖ बीएलओ घर-घर जाकर किए जाने वाले सर्वेक्षण के दौरान निर्वाचकों के विवरणों का संग्रहण करेंगे।
- ❖ ईआरओ/एईआरओ भी विशेष कैंप, मतदाता सुविधा केन्द्रों, ई-सेवा केन्दों तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत नागरिक सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपर्युक्त ब्योरे एकत्र करेंगे।

5. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा देश के सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में 12.04.2015 को उपरोलिखित गतिविधियों के लिए राष्ट्रव्यापी विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

6. स्वैच्छिक प्रकटन :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के उपबंधों के अधीन मिथ्था घोषणा के आधार पर एक से अधिक स्थान पर पंजीकरण दंडनीय अपराध है। निर्वाचक नामावली (वलियों) में एक से अधिक पंजीकरण रखने वाले निर्वाचकों से अनुरोध है कि वे आगे आएं और कार्यक्रम के दौरान दी गई सुविधा का उपयोग करें। निर्वाचकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रहने के सामान्य निवास-स्थान के अलावा अन्य स्थानों से अपना नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरें। निर्वाचक एनवीएसपी के वेब पोर्टल या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के सुविधा केन्द्रों/विशेष शिविरों/अन्य केन्द्रों यथा ई-सेवा, सीएससी तथा इसी प्रकार के अन्य केन्द्रों पर फार्म-7 जमा कर सकते हैं।

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक